UPMP010002442026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134**

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 19/2026

धीरेन्द्र बनाम राज्य

दिनांक– 01.04.2026

आदेश

आवेदक चन्द्रपाल सिंह (प्रभारी निरीक्षक) थाना औंछा जिला मैनपुरी की ओर से प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 01.07.2025 को थाना औंछा जिला मैनपुरी पर थानाध्यक्ष अनुज चौहान मय हमराही फोर्स दौरान चैकिंग सकीट औंछा रोड से लखौरा को जाने वाली सड़क पर जंगल में समय 17.40 बजे अभियुक्तगण धीरेन्द्र सिंह पुत्र वीरवल निवासी ग्राम वैनल थाना गंजडुडवारा जिला कासगंज व बवलू पुत्र जीवन सिंह निवासी ग्राम जिरखा थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद को मय कार नं. यूपी 87 एक्स 1170 के गिरफ्तार किया था तथा क्षेत्राधिकारी के निर्देश में तलाशी पर अभियुक्तगण के कब्जे से कार से 10 किलो 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ था। जिसके आधार पर मु०अ०स० 168/25 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में बरामद कार नं. यूपी 87 एक्स 1170 अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह के नाम पंजीकृत है जिसका उपयोग अभियुक्तगण द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने में किया गया है। अत: उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त वाहन को जब्तीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र पर आपत्ति के परन्तुक के अनुपालन में वाहन स्वामी को सुनवाई के लिये नोटिस जारी की गयी। वाहन स्वामी धीरेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि आपत्तिकर्ता उपरोक्त कार का स्वामी है तथा उसे व्यक्तिगत उपयोग हेतु ही इस्तेमाल में लाता है। उसके वाहन से कोई मादक पदार्थ गांजा की रिकवरी नही हुयी है। पुलिस द्वारा झूंठी बरामदगी लगायी गयी है। प्रार्थी की उपरोक्त कार जुलाई माह में पकड़ गयी थी जिसमें काफी समय बीत जाने के बाद जब्ती की कार्यवाही अमल में लायी गयी है जो घटना को संदिग्ध बनाता है। प्रार्थी की उपरोक्त गाड़ी को उसने ई.एम.आई पर खरीदा है जिसका ई.एम.आई बकाया है। प्रार्थी ने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है। अत: उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर प्रश्नगत पुलिस आख्या निरस्त होने योग्य है।

3. प्रार्थना पत्र व आपत्ति के प्रकाश में केस डायरी के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिनको घटना के समय उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होते हुये वाहन चालक होना बताया गया है। आवेदक की संबंधित अपराध संख्या में जमानत उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन को जब्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 01.04.2026

ACHCHHE LAL SAROJ
Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.04.06 12:26:44 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं० 1 ,मैनपुरी।